



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 588) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2020

सं० 07 बैंकिंग-RRB-10/2019 (खंड-1) 1003/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

15 सितम्बर 2020

विषय:- बिहार में कार्यरत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूजीकरण सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार के हिस्सा के रूप में क्रमशः 13.52 करोड़ रुपये तथा 6.43 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 19.95 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपबंध किए जाने एवं उसके भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार में कार्यरत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्पूजीकरण सहायता हेतु राज्य सरकार के हिस्सा के रूप में क्रमशः 13.52 करोड़ रुपये तथा 6.43 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 19.95 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपबंध किए जाने एवं उसके भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह राशि राज्य स्कीम के अंतर्गत मांग संख्या-12, विपत्र कोड-12-5475-00-800-0101 (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान-निवेश) विषय शीर्ष 32-01 अंशदान में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगी।

3. विषयांकित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2020 में मद संख्या-24 के रूप में स्वीकृत है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है। कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 588-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>